न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/28

1. दुर्गा आत्मज जगन्नाथ जी जाति गुर्जर निवासी ग्राम उलेडा तहसील एवं जिला बून्दी।
2. रामराज आत्मज जगन्नाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम उलेडा तहसील एवं जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. सूरजमल आत्मज छोटा ।
2. किशनगोपाल आत्मज छोटा ।
3. शंकर आत्मज छोटा आयु वयस्क जातियान माली निवासीगण ग्रमा उलेडा तहसील एवं जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.12.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम उलेडा तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 717 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 11 बीघा भूमि वादीगण के शामलाती खाते एवं कब्जे में है । आराजी खसरा नम्बर 719 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 745 रकबा 05 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 747 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 757 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण के पिता स्व0 छोटू वल्द खुमान के नाम खातेदारी में दर्ज है । दिनांक 27.07.2009 को प्रतिवादीगण ने जानबूझ कर कब्जा करने की नियत से और नुकसान पहुंचाने की नियत से फसल में ट्रेक्टर चला दिया । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे प्रतिवादीगण कम 1 से 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे और उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करे यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया हो तो उसे बेदखल कर वापस कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत में रखने की सूचना अपीलान्टगण को दिये बिना ही और उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया । रेस्पोडेन्ट वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर अपीलान्ट का रास्ता बन्द करने की नियत से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । जबकि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 05.12.2015 को हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को लोक अदालत में रखने बाबत् प्रतिवादीगण अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में केवल राजीनामे के आधार पर ही प्रकरण निर्णित किये जा सकते हैं । रेस्पोडेन्ट वादीगण ने तथ्यों को छुपाकर अपीलान्ट का रास्ता बन्द करने की नियत से स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है । जबकि अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचन एंव तनकीयात पर अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । साक्ष्य के बिना स्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 21.05.2015 नियत थी । दिनांक 21.05.2015 आगामी तारीख तारीख पेशी दिनांक 01.07.2015 को नियत की गई । पत्रावली लोक अदालत में रखी गई और उसी दिनांक को वाद वादी स्वीकार करते हुए दावा डिक्री किया गया है । लोक अदालत में अपीलान्टगण उपस्थित नहीं हुए हैं । प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। पक्षकारों द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है । लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष विधिक रूप से राजीनामा पेश करें इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.01.2019 को उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.12.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा